निर्णय वइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 01/2019 अपील
दायरा दिनांक :– 30.07.2019
निर्णय दिनांक :–23.09.2019

उनवान

भरोसी बाई पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासी निपानी तहसील छबडा हाल पत्नी बिरधीलाल माली निवासी बारां (राज.)।

बनाम

1. ग्राम पंचयात निपानिया तहसील छबडा द्वारा श्रीमान् सरंपच महोदया ग्राम पंचायत निपानिया तहसील छबड़ा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां।

अपील इन्तकाल 237 ग्राम निपानी ग्राम पंचायत निपानिया
निर्णय दिनांक :–23.09.2019

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री चिरोजीलाल भार्गव (प्रार्थी)

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील इन्तकाल नंबर 237 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय मे पेश किया गया है, जिसका सार यह है, कि विवादग्रस्त इन्तकाल नम्बर 237 ग्राम निपानी पंचायत निपानिया तहसील छबड़ा के द्वारा प्रमाणित किया गया है। आराजी खसरा नंबर 207 रकबा 07 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 134 रकबा 14 बिस्वा किता 3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका मूल खातेदार शंकरलाल आत्मज गोरया जाति माली निवासी निपानी सहभागी खातेदार कृषक थे। पिता शंकरलाल आत्मज गोरया की मृत्यु के उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का फोती इन्तकाल रिपोर्ट हल्का पटवारी की आधार पर क्रमांक 237 (इन्तकाल नम्बर) दिनांक 04.08.1999 को सरपंच महोदय ग्राम पंचायत निपानीया तहसील छबड़ा के द्वारा तस्दीक फरमाया गया।

मृतक शंकरलाल के एक पुत्र हेमराज एक पुत्री अपीलान्ट स्वयं तथा पांची थे, अपील स्त्री जाति की है, जिसका वास्तविक नाम भरोसीबाई है। शंकरलाल की मृत्यु के समय अपीलान्ट अपनी ससुराल मे विवाह के उपरान्त रहती थी। तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा सरसरी तोर पर जानकारी लेकर शंकरलाल आत्मज गोरया माली के वारिसान मे पुत्र हेमराज एवं रामभरोस एवं बेवा पांची बाई कर दिया गया तथा इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बाद तस्दीक नामान्तकरण संख्या 237 तस्दीक सरपंच महोदय के द्वारा फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर दिया गया जो वर्तमान मे यथावत चला आ रहा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट भरोसीबाई का नाम रामभरोस पुत्र शंकरलाल दर्ज चला आ रहा है।

अपीलान्ट अपनी ससुराल ग्राम बारां मे आवास करती रही, परिणाम स्वरूप राजस्व रिकार्ड मे हुई उपरोक्त चूक से पूरी तरह अनभिज्ञ रही। उक्त चूक कभी भी अपीलान्ट की जानकारी मे नही रही है। उपरोक्त चूक की वजह से अपीलान्ट के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है, जिसके लिये श्रीमान की सेवा में मौजूदा इन्तकाल संख्या 237 की अपील पेश है। बैंक आदी से ऋण लेने के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के लिये जब सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से दिनांक 30.05.2019 को नकल प्राप्त की तो उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

चूक के सम्बन्ध मे अपीलान्ट को जानकारी हुई, इसके पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। नकल लेने के बाद अपीलान्ट दिनांक 30.05.2019 से बाद बीमार हो गई, टाईफाईड हो गया, लम्बे समय तक बीमार रही। स्वास्थ्य लाभ होने पर अवधि मध्य अपील पेश है। दिनांक 31.05.2019 से दिनांक 08.07.2019 की देरी के लिये पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन मय शपथ–पत्र पेश किया। जिसे युक्ती युक्त कारण मानते हुए स्वीकार किया गया। इन्तकाल तस्दीक श्रीमान सरपंच निपानिया के द्वारा किया गया है, जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इन्तकाल न 237 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित प्रति लिखि इन्तकाल न 237 ग्राम निपानी ग्राम पंचायत निपानिया पेश की गई। भामाशाह कार्ड की प्रति भरोसीबाई पेश की गई आधार कार्ड व परिचय पत्र भरोसीबाई पेश किये गये।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन में बताया कि विवादग्रस्त इन्तकाल न 237 ग्राम निपानी ग्राम पंचायत निपानिया तहसील छबडा के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तथा आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वाके माल निपानी एवं आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 121 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 14 बिस्वा किता 3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थिति है। जिसका मूल खातेदार शंकरलाल पुत्र गोरया जाति माली निवासी निपानी सहखातेदार कृषक थे। शंकरलाल पुत्र गोरया की मृत्यु के उपरान्त वर्णित आराजी का फोती इन्तकाल हल्का पटवारी के आधार पर इन्तकाल क्रमांक 237 दिनांक 04.08.1999 को सरपंच द्वारा तस्दीक फरमाया गया। मृतक शंकर लाल के एक पुत्र हेमराज एतं पुत्री अपीलांट तथा स्वयं पांची थे। अपील स्त्री जाति की है। जिसका वास्तविक नाम भरौसी बाई है। शंकर लाल की मृत्यु के समय अपीलांट अपने ससुराल में विवाह के उपरान्त रहती थी। तत्कालिन पटवारी द्वारा सरसरी तौर पर जानकारी लेकर शंकर लाल पुत्र गौर्या के वारिसान में भरोसी बाई के स्थान पर रामभरोस कर दिया तथा उसी रिपोर्ट के आधार पर सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बरामद होकर वर्तमान तक यथावथ चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारीयों के चूक की वजह से अपीलांट के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। बैंक से ऋण आदी लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

अतः इन्तकाल संख्या 237 ग्राम निपानी, ग्राम पंचायत निपानिया को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट का नाम रामभरोस पुत्र शंकर के स्थान पर भरोसी बाई पुत्री शंकर लाल के नाम से दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल नम्बर 237 दिनांक 04.08.1999 का अवलोकन करने पर पाया कि शंकर लाल के वारिसान में पुत्र हेमराज एवं रामभरोस एवं बेवा पांची बाई दर्ज रिकार्ड है। अभिभाषक अपीलांट अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज भामाशाह, आधार व वोटर आई डी में भरोसी बाई नाम दर्ज है। जिससे यह साबित होता है कि इन्तकाल नम्बर 237 दिनांक 04.08.1999 में वारिसान का नाम रामभरोस गलत दर्ज होना पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

Scanned by CamScanner

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नम्बर 237 दिनांक 04.08.1999 ग्राम निपानी, ग्राम पंचायत निपानिया को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि शंकर लाल पुत्र गोरया निवासी निपानी, ग्राम पंचायत निपानीया के वारिसान की पुनः जांच कर बाद जांच पुनः नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करे। तद्दानुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा बारां (राज.)

(नन्दकिशोर राजोरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

Scanned by CamScanner